प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय डॉ. आई.एम. कुद्दुसी एवं माननीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायाधीश

प्रथम अपील (वैवाहिकी) क्रमांक 107 सन् 2008

अपीलार्थी : अजय पाल सिंह

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : श्रीमती डॉ. रोजी सिंह

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-

जी. मिन्हाजुद्दीन

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय डॉ. आई.एम. कुद्दुसी, न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ।

सही/-

डॉ. आई.एम. कुद्दुसी

न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 25 जनवरी 2012 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय डॉ. आई.एम. कुद्दुसी एवं माननीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायाधीश

प्रथम अपील (वैवाहिकी) क्रमांक 107 सन् 2008

अपीलार्थी : अजय पाल सिंह

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : श्रीमती डॉ. रोजी सिंह

उपस्थित:

अपीलार्थी के लिए – श्री रनबीर सिंह मरहास

प्रत्यर्थी के लिए – श्री आर. एस. पटेल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक 25 जनवरी, 2012 को उद्घोषित)

जी. मिन्हाजुद्दीन न्यायाधीश के अनुसार-

01. यह अपील कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अंतर्गत, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2008 को सिविल वाद क्रमांक 176-ए/07 में पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(आईए) के अन्तर्गत क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया गया है।

02. अपीलार्थी/याचिकाकर्ता का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि पक्षकारों के मध्य विवाह दिनांक 10.11.1991 को पंचकुला (हरियाणा) में संपन्न हुआ था और उसके पश्चात्, पक्षकारगण बिलासपुर, कोरबा, शिवपुरी, टीकमगढ़, भोपाल, इंदौर में साथ रहे, और छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात, अपीलार्थी का रायपुर स्थानांतरण हुआ। उनके वैवाहिक संबंध से दो बच्चों, अमन और जैस्मिन, का जन्म हुआ। विवाह के केवल 15-20 दिनों के पश्चात्

ही, प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपीलार्थी और उसके माता-पिता के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना और अपमानजनक तरीके से बात करना शुरू कर दिया। प्रत्यर्थी ने मांग की कि अपीलार्थी को उसकी माँ को घर से निकाल देना चाहिए और जब अपीलार्थी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो प्रत्यर्थी जोर-जोर से चिल्लाने लगी और यातनाएं देने लगी, साथ ही अपीलार्थी और उसकी माँ को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने लगी। इस कारण, अपीलार्थी की माँ घर छोड़कर चली गई और उसके माता-पिता ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया ताकि उसका वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण रह सके और उसे प्रत्यर्थी द्वारा परेशान न किया जाए। प्रत्येक स्थानांतरण के स्थान पर, अपीलार्थी को बदनाम किया गया और उसके सहकर्मियों, अधीनस्थों और आम जनता के सामने अपमानित किया गया, जिसका उसके व्यक्तिगत, सामाजिक और कार्यालयीन जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उसे अपमान सहना पड़ा। प्रत यर्थी, अपीलार्थी और उसके माता-पिता को धमकी देती थी कि यदि वे जैसा कि वह चाहती है वैसा नहीं करेंगे तो वह आत्महत्या कर लेगी और एक झूठे मामले में उन्हें फंसा देगी । जब अपीलार्थी कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़ के रूप में पदस्थ था, तो उसकी अनुपस्थिति में उसने (प्रत्यर्थी ने) भारी मात्रा में नींद की गोलियां खा लीं, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यर्थी के पिता ने सत्य की जांच किये बिना, कलेक्टर टीकमगढ़ अर्थात् अपीलार्थी के बारे में पुलिस महानिरीक्षक, मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव से शिकायत की कि उसने अपनी पत्नी (प्रत्यर्थी) को जहर दिया था। हालाँकि, जाँच करने पर, यह पाया गया कि अपीलार्थी की अनुपस्थिति में, प्रत्यर्थी ने स्वयं नींद की गोलियां खाई थीं। इस कार्य और प्रत्यर्थी द्वारा आधिकारिक कार्य में हस्तक्षेप के कारण, अपीलार्थी को उसके अधीनस्थों, सहकर्मियों के सामने और आम जनता के सामने भी उसी तरह से अपमानित और बदनाम किया गया, जैसा कि समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03. जब अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा यातना और उत्पीड़न से तंग आ गया, तो उसने अप्रैल 1999 में विद्वान द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, टीकमगढ़ के समक्ष न्यायिक पृथक्करण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया और वही आवेदन दिनांक 21.7.2000 को बच्चों अमन और जैस्मिन के हित में, तथा प्रत्यर्थी द्वारा प्रतीज्ञा देने पर कि वह भविष्य में अपने कार्यों को नहीं

दोहराएगी और उचित ढंग से आचरण करेगी, वापस ले लिया गया। इसके पश्चात्, प्रत्यर्थी अपने बच्चों के साथ अपीलार्थी के साथ रहने के लिए वापस लौट गई। तथापि, कुछ समय पश्चात् वह पुनः अपीलार्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से यातना देने लगी और उत्पीड़न करने लगी। अपीलार्थी के रायपुर स्थानांतरण के पश्चात् भी, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को यातना देना और उत्पीड़न करना जारी रखा, जिसके कारण उसे अपना आधिकारिक आवास छोड़ना पड़ा और वह किराए के मकान में रहने लगा। इन आधारों पर, अपीलार्थी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(आईए) के अंतर्गत विवाह विघटन हेतु विवाह विच्छेद की डिक्री का एक आवेदन प्रस्तुत किया।

04. प्रत्यर्थी ने अपनी जवाबदावा में उसके विरुद्ध लगाये समस्त आरोपों का खण्डन किया है तथा अभिव्यक्त किया है कि उसे अपीलार्थी एवं उसके माता-पिता द्वारा दहेज की माँग के सम्बन्ध में मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित किया गया। अपीलार्थी शराब पीकर उसे मारता था। प्रत्यर्थी के किसी भी कृत्य के कारण अपीलार्थी कभी भी अपमानित या बदनाम नहीं हुआ, किन्तु अपीलार्थी अपने कृत्यों और दुराचारों के कारण समाचारों में बना रहता था, जिसके लिए प्रत्यर्थी उत्तरदायी नहीं है। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी या उसके माता-पिता के विरुद्ध कभी भी कोई मानसिक या शारीरिक क्रूरता नहीं की है; परन्तु इसके विपरीत प्रत्यर्थी पर अपीलार्थी एवं उसके माता-पिता द्वारा क्रूर व्यवहार किया गया है। अपीलार्थी स्वैच्छिक रूप से पृथक किराये के आवास में निवास कर रहा है। प्रत्यर्थी सदैव अपीलार्थी के साथ रहने के लिये तैयार और इच्छुक रही है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

05. तथापि, विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने, पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् तथा अभिलेखों पर उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करने के उपरान्त, आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री द्वारा अपीलार्थी / पति द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(आईए) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया है।

06. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख और आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया।

07. वाद के समर्थन तथा पुष्टि में अपीलार्थी/वादी ने, अ.सा. 1 के रूप में स्वयं के अतिरिक्त, मोतीलाल एवं प्रताप सिंह रावत क्रमशः अ.सा. 2 तथा अ.सा. 3 के रूप में परीक्षण कराया है । दूसरी ओर प्रत्यर्थी/उत्तरवादी ने, जवाबदावा में किये गये तथ्यों की पुष्टि के लिये, स्वयं और अपने पिता मेजर दिलीप सिंह मुल्तानी का क्रमशः प्र.सा. 1 तथा प्र.सा. 2 के रूप में परीक्षण कराया है। मौखिक तर्कों के अतिरिक्त, पक्षकारों ने अपने प्रकरण के समर्थन में दस्तावेज भी प्रस्तुत किये हैं।

08. यह निर्विवादित है कि पक्षकारों का विवाह दिनांक 10 नवम्बर, 1991 को संपन्न हुआ और तत्पश्चात् वे बिलासपुर, कोरबा, शिवपुरी, टीकमगढ़, भोपाल, इन्दौर में साथ में निवास करते रहे तथा छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात् दिनांक 1.11.2000 के उपरांत अपीलार्थी/पति का वर्ष 2001 में रायपुर में स्थानांतरण हुआ। यह भी निर्विवादित है कि पक्षकार लगभग 2004 के आसपास से पृथक्-निवास कर रहे हैं। जहाँ प्रत्यर्थी/पत्नी, अपीलार्थी को प्रदत अधिकारिक आवास में निवास कर रही है, वहीं अपीलार्थी स्वेच्छापूर्वक एक किराये के आवास में पृथक् निवास कर रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

09. याचिका तथा अपीलार्थी के अभिव्यक्त विवरणों के अनुसार, केवल लगभग 15–20 दिनों की अल्पावधि के पश्चात् प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपीलार्थी तथा उसकी माता के प्रति क्रूरतापूर्ण आचरण करना प्रारम्भ कर दिया, तथा यह माँग की कि अपीलार्थी अपनी माता को घर से निकाल दे; अपीलार्थी के ऐसा करने से इन्कार करने पर प्रत्यर्थी ने जोर-जोर से चिल्लाना और न सिर्फ अपीलार्थी अपितु उसकी माता के साथ भी क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना आरम्भ कर दिया। तत्पश्चात्, घर में सामंजस्य बनाए रखने की हेतु, अपीलार्थी की माता ने घर छोड़ दिया और वहाँ से चली गई।

10. अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने आगे व्यक्त किया है कि आज तक, विवाह के पश्चात् उसके कार्यकाल में उसे बिलासपुर, कोरबा, शिवपुरी, टीकमगढ़, भोपाल, इन्दौर में पदस्थ किया गया और तत्पश्चात् वर्ष 2001 में उसे रायपुर में स्थानान्तरित किया गया। उसने आगे यह व्यक्त

किया है कि प्रत्येक पदस्थापन स्थल पर प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपीलार्थी को नीचा दिखाने एवं अपमानित करने के उदेश्य से उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया, जो एक आई.ए.एस. अधिकारी की पत्नी के अनुकूल आचरण नहीं है; इस कारण वह अपने सहकर्मियों, अधीनस्थों एवं सामान्य जन के सम्मुख अपमानित हुआ और उसका व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आधिकारिक जीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।

11. अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने विस्तार से अपने प्रत्येक पदस्थापन स्थल पर प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा क्रूरता और यातना से संबंधित घटनाओं का क्रम वर्णित किया है और अपने शपथपत्र पर साक्ष्य में भी उसी आशय को दोहराया है।

12. प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपने विरुद्ध क्रूरता और यातना से संबंधित समस्त आरोपों का खण्डन किया है और यह तर्क किया कि विवाह के तुरंत पश्चात् अपीलार्थी/पति और उसके माता-पिता दहेज की माँग के संबंध में उसे प्रताड़ना और यातना दे रहे थे। अपीलार्थी शराब का सेवन करके उसे निर्दयतापूर्वक पीटता था। प्रत्यर्थी/पत्नी (प्र.सा. 1) और उसके पिता मेजर दिलीप सिंह मुल्तानी (प्र.सा. 2) ने अपने शपथपत्र साक्ष्य में भी यही कथन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. सर्वप्रथम, यह देखना उचित होगा कि क्रूरता और यातना से संबंधित आरोपों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी/पत्नी ने प्रत्यक्षतः या परोक्षतः कितने आरोपों को स्वीकार किया है।

14. अपीलार्थी / पति (अ.सा. 1) ने यह कथन किया है कि जब वह जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, टीकमगढ़ के रूप में पदस्थ था, तब उसे कुछ आधिकारिक कार्य के सिलसिले में होली पर्व से ठीक पहले तुरंत दिल्ली जाना पड़ा तथा एक ही दिन में वापस आना था। उस अवसर पर प्रत्यर्थी/पत्नी ने उसके साथ दिल्ली जाने की जिद की और जब उसने इंकार कर दिया तथा प्रस्थान कर गया, तो उसकी अनुपस्थिति में प्रत्यर्थी ने बहुत अधिक मात्रा में नींद की गोलियाँ सेवन कर लीं, जिस कारण उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा। जब अपीलार्थी दिल्ली से वापस लौटा, तो उसे सूचित किया गया कि उसके ससुर मेजर दिलीप सिंह मुल्तानी (प्र.सा. 2) ने पुलिस महानिदेशक (म.प्र.) को फैक्स के द्वारा यह शिकायत भेजी कि

कलेक्टर, टीकमगढ़ अर्थात् अपीलार्थी ने अपनी पत्नी (प्रत्यर्थी) को जहर दिया है। अपीलार्थी ने यह भी कथन किया है कि उसके ससुर ने उक्त शिकायत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, टीकमगढ़ के समक्ष भी प्रस्तुत की, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जाँच कर रिपोर्ट दिनांक 13.5.1999 में प्रस्तुत की गयी कि प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपीलार्थी की अनुपस्थिति में स्वयं ही बड़ी मात्रा में नींद की गोलियाँ सेवन की थीं। आगे, उपचार करने वाले चिकित्सक का मत है कि यह डायजेपाम विषाक्तता का मामला है, तथा प्रत्यर्थी/पत्नी के आचरण सामान्य व्यक्ति के आचरण के अनुरूप नहीं थे। चिकित्सक ने यह भी अभिप्राय व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी को मनोचिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी/पत्नी ने स्वीकार किया है कि वह दिनांक 2 मार्च, 1999 से 8 मार्च, 1999 तक जिला चिकित्सालय, टीकमगढ़ में रह चुकी है तथा उसकी स्थिति का परिणाम डाइजेपाम विषाक्त प्रभाव के रूप में दिया गया था, जो दस्तावेज़ अनुलग्नक डी-71 (प्रत्यर्थी द्वारा स्वयं जमा की गई फोटो प्रतिलिपि) से स्पष्ट है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का विवरण अपीलार्थी/पति ने प्रस्तुत किया है, जो अपीलार्थी के कथन का समर्थन करता है तथा उक्त प्रतिवेदन को प्रत्यर्थी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपरोक्त तथ्य से प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी के कलेक्टर, टीकमगढ़ के पदस्थापना के दौरान, अपीलार्थी की अनुपस्थिति में प्रत्यर्थी ने बहुत मात्रा में नींद की गोलियाँ सेवन कीं और प्रत्यर्थी के पिता मेजर दिलीप सिंह मुल्तानी (प्र.सा. 2) ने सत्य की पुष्टि किए बिना अपने दामाद (अपीलार्थी) के विरुद्ध यह शिकायत की कि उसने अपनी पत्नी (प्रत्यर्थी) को जहर दिया है; जाँच पर यह शिकायत झूठी पायी गयी। प्रत्यर्थी एवं उसके पिता द्वारा किए गए उपरोक्त उल्लेखित कृत्य निस्सन्देह क्रूरता के दायरे में आते हैं, जिन्हें उन्होंने अपीलार्थी के विरुद्ध अंजाम दिया, क्योंकि ऐसे कृत्यों के परिणामस्वरूप अपीलार्थी, जो उस समय कलेक्टर, टीकमगढ़ था, को जनता के समक्ष तथा उसके सहकर्मियों और अधीनस्थों के समक्ष अपमान और हताशा का सामना करना पड़ा होगा।

16. यह निर्विवादित है कि होशंगाबाद में नींद की गोलियों की भारी मात्रा के सेवन की घटना के पश्चात् प्रत्यर्थी स्वास्थ्य लाभ के उपरांत अपने माता-पिता के घर पंचकुला (हरियाणा) चली गई थी। यह भी निर्विवादित है कि मार्च 1999 की इस घटना के पश्चात्, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे प्रत्यर्थी ने आवेदन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा नई दिल्ली के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, तीसहजारी न्यायालय को हस्तांतरित किया गया था। यह भी निर्विवादित है कि दिनांक 21.7.2000 को पक्षकारों के बीच दिल्ली में साक्षियों की उपस्थिति में एक समझौता-सह-व्यवस्थापन विलेख पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें से एक प्रत्यर्थी के पिता मेजर दिलीप सिंह मुल्तानी थे। समझौता-सह- व्यवस्थापन विलेख के पैराग्राफ 1 से 7 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रथम पक्षकार अर्थात् प्रत्यर्थी डॉ. श्रीमती रोज़ी सिंह ने सहमति प्रदान की कि उसके पास द्वितीय पक्षकार (अपीलार्थी) और उसके परिवार के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं होगी और न ही वह अपीलार्थी के साथ झगडा करेगी और न ही अपनी भावनात्मक प्रकोप से अपीलार्थी को आहत करेगी। जैसा कि समझौता-सह-व्यवस्थापन विलेख के पैराग्राफ 1 से 7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी/पत्नी को दोषी पाया गया था और उसने अपीलार्थी या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध किसी भी शिकायत या प्रकरण का आरंभ या संचालन न करने के लिए भी सहमति प्रदान की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अपीलार्थी/पति ने अपनी वादपत्र में यह व्यक्त किया है कि प्रत्यर्थी/पत्नी, अपीलार्थी और उसके माता-पिता के साथ क्रूरता के आचरण के अतिरिक्त, अपीलार्थी के आधिकारिक कार्य में भी हस्तक्षेप कर रही थी, जिससे उसकी आधिकारिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। उसने कथन किया है कि टीकमगढ़ में कलेक्टर के रूप में उसकी पदस्थापन के दौरान, दिनांक 13.3.1999 को भोपाल संस्करण के दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि कलेक्टर की पत्नी अर्थात् प्रत्यर्थी श्रीमती रोज़ी सिंह द्वारा गाँव-गोआ, जिला-टीकमगढ़ में परीक्षा केंद्र खोलने के लिए रूपये 1.50 लाख की रिश्वत ली गई थी। अपीलार्थी ने उक्त समाचार पत्र की कटिंग प्रस्तुत की है, जिसे अनुलग्नक पी/2 के रूप में अंकित किया गया है। यह तथ्य प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी/पत्नी

ने कथन किया है कि यह समाचार झूठा है और इसे अफवाह के रूप में वर्णित किया है। इस प्रकार का समाचार जो प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है, इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि प्रत्यर्थी/पत्नी का आचरण पारदर्शी नहीं था और वह अपीलार्थी के, जो उस समय टीकमगढ़ में कलेक्टर पदस्थ थे, आधिकारिक कार्यों में दखल दे रही थी; क्योंकि बिना किसी वास्तविक आधार के कोई समाचारपत्र पूर्णतया निराधार और आधारहीन समाचार प्रकाशित करने का साहस नहीं करेगा, और वह भी कलेक्टर की पत्नी के आचरण से संबंधित।

18. प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपने प्रतिपरीक्षण (पैरा-5) में स्वीकार किया है कि उसने अपने पति (अपीलार्थी) के विरुद्ध यह आरोप लगाया था कि टीकमगढ़ से स्थानांतरण के समय अपीलार्थी ने कलेक्टर के बंगले से एक प्राचीन वस्तु ले ली थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि यह आरोप माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की ग्वालियर खंड द्वारा गलत पाया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. प्रत्यर्थी/पत्नी ने व्यक्त किया है कि विवाह के तुरंत पश्चात् अपीलार्थी/पति और उसके माता-पिता ने दहेज की माँग के संदर्भ में उसे क्रूरतापूर्वक आचरण करना प्रारम्भ कर दिया तथा अपीलार्थी शराब लेने के उपरान्त उसे निर्दयतापूर्वक पीटता था। तथापि, प्रत्यर्थी ने अपने प्रतिपरीक्षण पैरा 2 में स्वीकार किया है कि इंदौर, होशंगाबाद स्थित स्टेट बैंक से ऋण लेने के पश्चात् अपीलार्थी/पति ने उसके (प्रत्यर्थी के) लिये एक दन्त चिकित्सालय (डेंटल क्लिनिक) खोला तथा उक्त ऋण का भुगतान प्रत्यर्थी द्वारा नहीं किया गया। उसने यह भी व्यक्त किया है कि दन्त चिकित्सालय चलाने का इच्छा उसके पति (अपीलार्थी) की थी। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी/पति ने अपने कथन के पैरा-20 में कथन किया है कि प्रत्यर्थी की इच्छा को दृष्टिगत रखते हुए उसने (अपीलार्थी) उसे दन्त कालेज में नियुक्त करा दिया था। उक्त तथ्य को प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दी गई। अतः यह स्वीकृत नहीं ठहराया जा सकता कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ दहेज की माँग के सम्बन्ध में अत्यन्त क्रूरता से व्यवहार कर रहा हो, वही उसके लिये दन्त क्लिनिक खोलवाने हेतु ऋण स्वीकृत करवा देगा तथा ऋण राशि के भुगतान की देनदारी स्वयं पर ग्रहण करेगा।

20. प्रत्यर्थी/पत्नी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने पति (अपीलार्थी) तथा उसके माता-पिता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498ए के अन्तर्गत अपराध के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तथा आगे यह अभिव्यक्त किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने से पूर्व उसने किसी को यह बात प्रकट नहीं की कि उसके साथ अपीलार्थी एवं उसके माता-पिता द्वारा दहेज की माँग के सम्बन्ध में क्रूरता के साथ व्यवहार किया गया था। रायपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है, जिनके द्वारा अपीलार्थी को धारा 438 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी, यह दांडिक कार्यवाही धारा 498 ए भा.दं.सं. के उस रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत की गई थी जो प्रत्यर्थी/पत्नी ने दर्ज करवाई थी। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, ग्वालियर पीठ द्वारा दिनांक 15.5.2003 के आदेश की प्रमाणित प्रति (फोटोकॉपी) भी प्रस्तुत की गई है, जो विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 171/03 अन्तर्गत धारा 482 दं.प्र.सं. है, जिसमें टीकमगढ़ के कलेक्टर के बंगले से प्राचीन वस्तु ले जाने के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विरुद्ध आरम्भ की गई कार्यवाही खारिज कर दी गई है। उपर्युक्त व्यवहार से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा अपनाया गया आचरण अपीलार्थी (पति) तथा उसके माता-पिता के प्रति अत्यन्त कटुतापूर्ण है तथा क्रूरता को भी दर्शाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. पैरा 16 में अपीलार्थी/पति ने कथन किया है कि होली के दिन प्रत्यर्थी ने उस पर कैंची से आक्रमण किया, परिणामस्वरूप उसे दो कैंची के घाव लगे तथा बाएँ नेत्र में रक्तस्राव हुआ। आगे, पैरा-18 में उसने कथन किया है कि जब वह बच्चों के कमरे में था, तब प्रत्यर्थी उसकी छाती पर बैठ गई और पास पड़ी पीतल की वस्तु से उस पर प्रहार किया। यह देखकर बच्चे रोने लगे और उस समय वहाँ उपस्थित नौकर ने भी चिल्लाया तथा किसी प्रकार वह (अपीलार्थी) वहाँ से बचकर निकल गया। उपर्युक्त तथ्यों का समर्थन उस समय अपीलार्थी के बंगले में चपरासी के रूप में कार्यरत प्रताप सिंह रावत अ.सा. 3 के शपथ पर दिए गए कथन से होता है। इस साक्षी प्रताप सिंह रावत अ.सा. 3 ने कथन किया है कि होली के दिन चूँकि गृह-परिचारिका नहीं आई थी, इसलिए प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से झगड़ा किया और वह अपीलार्थी पर कैंची से प्रहार करने का भी प्रयत्न कर रही थी। प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपने कथन के पैरा-17 में भी स्वीकार

किया है कि जब-जब गृह-परिचारिका नहीं आती थी, उसे अतिरिक्त भार वहन करना पड़ता था, जिसके कारण वह अपीलार्थी से झगड़ा करती थी।

22. अपीलार्थी ने अपने कथन के पैरा 24 में यह भी कथन किया है कि जब वह किराये के घर में पृथक् निवास कर रहा था, तब प्रत्यर्थी वहाँ आई और उसके वाहन के शीशे तथा घर के शीशे तोड़ दिए। उसने कीलोंयुक्त लकड़ी की तख़्त से भी उस पर प्रहार किया; परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आई। उपर्युक्त तथ्य उस समय अपीलार्थी के दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित आवास में सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्यरत मोतीलाल (अ.सा. 2) के कथन से पुष्ट होते हैं।

23. अतः अभिलेख पर उपलब्ध लिखित एवं मौखिक साक्ष्यों के विश्लेषण से, जिसमें प्रत्यर्थी/पत्नी के स्वीकृति भी सम्मिलित हैं, यह संदेह से परे स्थापित होता है कि प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपीलार्थी/पति के साथ क्रूरतापूर्ण आचरण किया है तथा विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/पति के हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(आईए) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार करना उचित नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. फलस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2008 को सिविल वाद क्रमांक 176-ए/07 में पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी/पति हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(आईए) के अंतर्गत प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा की गई क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः पक्षकारों के बीच दिनांक 10.11.1991 को संपन्न विवाह एतदद्वारा विघटित किया जाता है।

25. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) तद्नुसार डिक्री तैयार करें।

सही/-

डॉ. आई.एम. कुद्दुसी

न्यायाधीश

सही/-

जी. मिन्हाजुद्दीन

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By – श्रीमती रेशमा कुजूर, अनुवादक